न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./904/2003/भरतपुर

निहालसिंह पुत्र रतीराम जाति गूजर निवासी इकलेरा तहसील डीग जिला भरतपुर।

............अपीलार्थी

बनाम

1— मु0 नथिया बेवा बीरबल
2— कल्लू पुत्र बीरबल
3— फूलसिंह पुत्र बीरबल
4— मुंशी पुत्र बीरबल
5— किन्नो उर्फ बिज्जो पुत्र बीरबल
समस्त जाति गूजर निवासी इकलेरा तहसील डीग जिला भरतपुर।
6— मु0 कल्लो बेवा बदनसिंह
7— रज्जो) पिसरान बदनसिह
8— महावीर)
9— निर्भयसिंह पुत्र रोशन
10— शिवचरण पुत्र रोशन
11— रामजीत पुत्र रोशन
12— किशन पुत्र झग्गड
समस्त जाति गूजर निवासीयान इकलेरा तहसील डीग जिला भरतपुर।

............प्रत्यर्थीगण

खण्ड—पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थित :
श्री यज्ञदत्त शर्मा अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री जे0के0पारीक अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

————

निर्णय

दिनांकः— 30—9—2019

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या 46/2002 में पारित निर्णय दिनांक 11—12—2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी की ओर से न्यायालय सहायक कलक्टर, डीग के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् विरूद्ध प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया गया कि वादी तथा प्रतिवादीगण आपस में घर के कुटम्बी है तथा पारिवारिजन है। विवादित आराजी खसरा नंबर 1017/0.74, 1023/0.28 वाके ग्राम इकलेरा तहसील डीग संवत 2012 से पूर्व आपसी पारिवारिक बंटवारे में वादी के हिस्से में आई तभी से वादी बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है परन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी का इन्द्राज हो रहा है जिसे कलमजन किया जाकर वादी/अपीलार्थी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। विचारण न्यायालय ने तनकियात बनाते हुए अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 02—4—2002 द्वारा वाद वादी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी का अपीलार्थी/वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग के समक्ष प्रथम अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 11—12—2002 द्वारा अपील आंशिक स्वीकार कर अपीलार्थी के हिस्से तक विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर दिया तथा शेष निर्णय यथावत रखते हुए विचारण न्यायालय को उभय पक्ष को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देकर पुनः नियमानुसार निर्णय करने के लिए प्रकरण प्रतिप्रेषित किया। उक्त निर्णय दिनांक 11—12—2002 से असंतुष्ट होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

3— हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4— विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण/वादीगण ने अपील—मीमों में अंकित अपील आधारों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य लेखबद्ध कराई है जिससे वादी का वाद पूर्णतः साबित पाये जाने पर ही विचारण न्यायालय ने वादी का वाद डिक्री किया है जिसमें हस्तक्षेप कर प्रथम अपीलीय न्यायायल ने महत्वपूर्ण भूल की है। उनका कथन है कि मिलान क्षेत्रफल से यह स्पष्ट है कि हाल खसरा नंबर साबिक खसरा नंबर से मिलकर बना है खसरा टीप संवत 2005 से 2008 से स्पष्ट है कि वादी निहालसिंह की काश्त खसरा नंबर 2008

से 2014 पर दर्ज है। उक्त बिन्दु पर गौर नहीं कर प्रथम अपीलीय न्यायलय ने विधिक त्रुटि की है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विपक्षी को पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया है किन्तु उसके पश्चात् भी विद्वान अपील अधिकारी ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि विपक्षीगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है इसलिए प्रकरण को रिमाण्ड किया जाता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब प्रकरण के संबंध में पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध हो तो प्रकरण रिमाण्ड नहीं किया जाना चाहिए किन्तु इस विशेष बिन्दु को नजरंदाज कर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण रिमाण्ड कर विधिक भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11—12—2002 निरस्त किया जावे तथा सहायक कलक्टर, डीग द्वारा पारित निर्णय व डिक्री 02—4—2002 यथावत कायम रखा जावे।

5— इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने बहस की है कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि के 1/3 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार हैं। विचारण न्यायालय ने अपना निर्णय पारित करने से पूर्व उन्हें सुनवाई बाबत् नोटिस जारी नहीं किया है तथा एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। वादी/अपीलार्थी ने वाद को साबित नहीं किया है विचारण न्यायालय ने केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर दावा डिक्री किया है। जमाबंदी संवत 2058 में वे विवादित भूमि के 1/3 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार हैं। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण की पूर्ण समीक्षा कर पुनः निर्णय पारित करने के लिए विचारण न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है जिसमें द्वितीय अपील के जरिये हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

6— उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

7— पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से प्रकट हुआ है कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय के माध्यम से विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए पत्रावली को प्रतिप्रेषित किये जाने का जो आदेश पारित किया है, उसका कारण निर्णय में यह अंकित किया है कि अपीलार्थी के

अधिवक्ता का यह तर्क महत्वपूर्ण है कि वह आराजी का 1/3 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार है, उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर 1/3 हिस्से की खातेदारी दे दी गई और मूल रूप से इसी आधार पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया है तथा उभय पक्षों को सुनकर पुनः निर्णय पारित करने का आदेश पारित किया है। राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–12–2002 के विरूद्ध इस द्वितीय अपील के माध्यम से अपीलार्थी/वादी की ओर से अहम तर्क यह प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादीगण ने न केवल जवाबदावा प्रस्तुत किया है, बल्कि मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश की है, इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं मिला है। अपीलार्थी की ओर से यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि विचारण न्यायालय का निर्णय तनकीवार है, जिसके संबंध में तनकीवार विश्लेषण करते हुए ही निर्णय को अपास्त किया जा सकता था किन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय आदेश 41 नियम 31 सी.पी.सी. के विरूद्ध है।

8– विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर तनकी संख्या–1 को निर्णित करते हुए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन किया गया है तथा न केवल वादी बल्कि प्रतिवादीगण के गवाहान के मौखिक कथन से यह पाया है कि दोनों ही पक्षकारान घीसा के वारिसान है, जिसके क्रमशः रत्तीराम व जग्गड़ दो पुत्र हुए, वादी निहाल रत्तीराम का पुत्र है जबकि जग्गड़ के तीन पुत्र हुए जिनमें से बीरबल व रोशन का देहान्त हो गया। रत्तीराम व जग्गड़ का भी देहान्त हो चुका है और इस प्रकार उभय पक्षों की साक्ष्य से इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है कि पक्षकारान एक ही कुटुम्ब के सदस्य हैं। इसके साथ ही मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2, खसरा टीप, प्रदर्श–4 इत्यादि का उल्लेख करते हुए निर्णय में अंकित है कि साबिक खसरा नंबर 1009, 1010 व 1011 से खसरा नंबर 1017 बना है तथा खसरा नंबर 1014 से खसरा नंबर 1023 बना है। खसरा टीप संवत 2008 से 2014 के मुताबिक उक्त आराजियात जग्गड़ व निहाल की कब्जा काश्त की आराजियात रही है और इस प्रकार पूर्व में पक्षकारों की संयुक्त आराजी होना विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पाया गया

है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि जग्गड़ के अन्य वारिसान द्वारा इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है और वादपत्र के इन तथ्यों को स्वीकार किया गया है कि संवत 2012 से पूर्व ही विवादित आराजियात आपसी पारिवारिक विभाजन में वादी को प्राप्त हो चुकी थी, केवल मात्र बीरबल के वारिसान ही इस तथ्य से इन्कार कर रहे हैं किन्तु दस्तावेजात से भी वादपत्र के तथ्यों की पुष्टि हुई है और ऐसे में बिन्दु संख्या 1 व 2 को वादीगण के पक्ष में साक्ष्य का समुचित विवेचन कर निर्णित किये जाने में इस न्यायालय के मत में किसी प्रकार की त्रुटि विचारण न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। किन्तु मात्र यह अंकित करते हुए कि सुनवाई का अवसर बीरबल के वारिसान को प्राप्त नहीं हुआ, निर्णय को अपास्त करते हुए प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश पारित किया गया है, वह न तो आदेश 41 नियम 31 के अनुरूप है और न ही पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य के अनुसरण में किया गया है। इसके विपरीत विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य सामग्री की समुचित विवेचन करते हुए जो निर्णय पारित किया गया है, उसमें चूंकि हस्तक्षेप का कोई भी आधार नहीं है इसलिए विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

9— परिणामतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11—12—2002 अपास्त किया जाता है तथा न्यायालय सहायक कलक्टर, डीग द्वारा पारित निर्णय व दिनांक दिनांक 02—4—2002 की पुष्टि की जाती है।

10— इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालयों का अभिलेख आदेश की पालनार्थ अविलंब प्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक **30—9—2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज नरूका)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य